प्रकाशन हेतु अनुमोदित

उच्च न्यायालय बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

कोरम : **माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं**

माननीय श्री राधे श्याम शर्मा, न्यायमूर्तिगण

दांडिक अपील क्रमांक 697/2009

तुला राम

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

विचारार्थ निर्णय

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

माननीय श्री न्यायमूर्ति राधे श्याम शर्मा

मैं सहमत हूँ

सही/-

आर. एस. शर्मा

न्यायाधीश

निर्णय उद्घोषणा हेतु दिनांक 09/05/2012 को सूचीबद्ध करें

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

उच्च न्यायालय बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

कोरम : **माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं**

माननीय श्री राधे श्याम शर्मा, न्यायमूर्तिगण

दांडिक अपील क्रमांक 697/2009

अपीलार्थी : तुला राम पिता घुराऊराम मांझी, उम्र लगभग 32 वर्ष,

निवासी ग्राम - भिखारीमाल, पुलिस थाना चक्रधरनगर,

जिला - रायगढ़, (छ.ग.)

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा जिला दंडाधिकारी, रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.)

(दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के तहत दांडिक अपील)

उपस्थित: -

श्री अवध त्रिपाठी, अधिवक्ता : अपीलार्थी की ओर से।

श्रीमती मधु निशा सिंह, पैनल अधिवक्ता : प्रत्यर्थी की ओर से।

निर्णय

(09-05-2012)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा द्वारा सुनाया गया:-

1. यह अपील सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ (छ.ग.) द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 106/2008 में दिनांक 22 अगस्त, 2009 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। इस निर्णय के द्वारा अपीलार्थी को

भारतीय दंड संहिता धारा की 302 के तहत सिद्धदोष किया गया है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं:-

दिनांक 1 जून 2008 को विजयपुर ग्राम के एक तालाब में एक अज्ञात व्यक्ति (पुरुष) का शव मिला। मनीष शर्मा (अ.सा.-1) ने मर्ग सूचना (प्र.पी.-1) दर्ज कराई। जांच अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। शव को तालाब से निकाला गया और उसकी पहचान भिखारीमाल ग्राम निवासी सुरेश कुमार नायक के रूप में हुई। अन्वेषण अधिकारी ने पंचों को नोटिस (प्र.पी.-2) दिया और मृतक के शव पर मृत्यु समीक्षा (प्र.पी.-3) तैयार किया।मृतक के शव को शव परीक्षण के लिए रायगढ़ के शासकीय अस्पताल भेजा गया। शव का शव परीक्षण डॉ. अनिल कुमार कुशवाहा (अ.सा.-10) द्वारा किया गया, जिन्होंने पाया कि मृतक की मृत्यु गला घोंटने के कारण श्वासावरोध से हुई थी और यह मृत्यु मानववध की प्रकृति की थी। शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी./12-ए है। दिनांक 20.06.2008 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत परमानंद (अ.सा.-2), रमेश प्रधान (अ.सा.-3), मुरली पटेल (अ.सा.-4) और महेश प्रधान (अ.सा.-5) के बयान दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने कहा कि अपीलार्थी ने उनके सामने न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की थी कि उसने लीलाधर ठाकुर (आरोपी संख्या 2) के साथ मिलकर मृतक की हत्या की थी। इसके बाद, अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया और साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत उनके मेमोरेंडम बयान दर्ज किए गए, तथा उनकी निशानदेही पर विभिन्न वस्तुएँ ज़ब्त की गईं। यह स्वीकार्य है कि इस मामले में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं था, और अभियोजन पक्ष ने दो परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रस्तुत किए: पहला—अभियुक्तों की निशानदेही पर मेमोरेंडम और ज़ब्ती; और दूसरा—उपर्युक्त चार गवाहों के समक्ष अपीलार्थी द्वारा किया गया न्यायिकेत्तर संस्वीकृति । माननीय सत्र न्यायाधीश ने मेमोरेंडम और ज़ब्ती के साक्ष्यों पर भरोसा नहीं किया। हालांकि, अपीलार्थी द्वारा दिए गए न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के साक्ष्य पर भरोसा करते हुए, उसे उपरोक्त अनुसार सिद्धदोष किया गया और सजा सुनाई गई। सह-आरोपी लीलाधर ठाकुर (आरोपी संख्या-2) को दोषमुक्त कर दिया गया, क्योंकि अपीलार्थी (आरोपी संख्या-1) द्वारा किया गया दोष-स्वीकारक न्यायिकेत्तर संस्वीकृति सह-आरोपी (आरोपी संख्या-2) के विरुद्ध सिद्ध नहीं माना गया; इस हद तक महेश प्रधान (अ.सा.-5) की गवाही को अविश्वसनीय माना गया।

3. अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत हुए विद्वान अधिवक्ता श्री अवध त्रिपाठी ने तर्क प्रस्तुत किया कि न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की एकमात्र परिस्थिति सिद्ध नहीं हुई थी। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

परमानंद (अ.सा.-2), रमेश प्रधान (अ.सा.-3), मुरली पटेल (अ.सा.-4) और महेश प्रधान (अ.सा.-5) के साक्ष्यों पर भरोसा करने में त्रुटि की, और यह माना कि न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की परिस्थिति सिद्ध हो गई थी।

4. दूसरी ओर, राज्य की ओर से प्रस्तुत हुईं विद्वान पैनल अधिवक्ता श्रीमती मधु निशा सिंह ने इन तर्कों का विरोध किया और सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

5. हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और सत्र मामले के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

6. यह स्वीकृत है कि इस मामले में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है और अभियोजन पक्ष का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है। परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित मामले में, दोष सिद्ध करने के लिए आवश्यक परिस्थितियों को पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए और इस प्रकार स्थापित सभी परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए। वे केवल आरोपी के अपराध की ओर ही इशारा करने चाहिए। परिस्थितियाँ ऐसी होनी चाहिए जिन्हें समझाया न जा सके और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि आरोपी की निर्दोषता के पक्ष में विश्वास करने का कोई उचित आधार न बचे। सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में यही कहा है। इसलिए, हमें इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि जिन परिस्थितियों पर अभियोजन पक्ष भरोसा कर रहा है, उनसे यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता कि अपीलार्थी पर लगाया गया अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध हो चुका है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. कई मामलों में यह स्थापित किया गया है कि यदि न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के संबंध में साक्ष्य ऐसे अ.सा./गवाहों के मुख से प्राप्त होता है जो निष्पक्ष प्रतीत होते हैं, आरोपी के प्रति किसी भी प्रकार से शत्रुतापूर्ण नहीं हैं, और जिनके बारे में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आता है जिससे यह संकेत मिलता हो कि आरोपी को झूठा बयान देने के पीछे उनका कोई हेतुक हो सकता है, अ.सा. द्वारा बोले गए शब्द स्पष्ट, असंदिग्ध और निर्विवाद रूप से यह दर्शाते हैं कि आरोपी ही अपराध का सूत्रधार है, और साक्षी द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा गया है जो इसके विरुद्ध हो, तो साक्षी के साक्ष्य की विश्वसनीयता की कसौटी पर कड़ी जांच करने के बाद यदि वह जांच में खरा उतरता है, तो न्यायिकेत्तर संस्वीकृति को स्वीकार किया जा सकता है और यह दोषसिद्धि का आधार बन सकता है।

8. **<u>एस.के. यूसुफ बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, एआईआर 2011 एससी 2283</u>** के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्णीत किया है कि न्यायिकेत्तर संस्वीकृति कमजोर प्रकार का साक्ष्य है। इसे सत्य और स्वेच्छा से, उचित मानसिक स्थिति में दिया गया साबित किया जाना चाहिए। साक्षी के शब्द स्पष्ट, असंदिग्ध और स्पष्ट से यह प्रकट करता हैं कि आरोपी ही अपराध का सूत्रधार है। न्यायिक कार्यवाही से भिन्न दिए गए न्यायिकेत्तर संस्वीकृति को स्वीकार किया जा सकता है और विश्वसनीयता की कसौटी पर खरा उतरने पर यह दोषसिद्धि का आधार बन सकता है। इस संबंध में <u>राजस्थान राज्य बनाम राजा राम (2003) 8 एससीसी 180 और कुलविंदर सिंह एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य (2011) 5 एससीसी 258</u> का संदर्भ लिया गया है।

9. अब इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हम न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के साक्ष्य की जाँच करेंगे।

10. परमानंद (अ.सा.-2) ने गवाही दी कि घटना के 15-20 दिन बाद, शाम लगभग 7 बजे, अपीलार्थी उससे उसके घर के पास मिला और कहा कि उससे गलती हो गई है। जब परमानंद (अ.सा.-2) ने पूछा कि क्या गलती हुई है, तो अपीलार्थी ने न्यायालय के बाहर स्वीकार किया कि उसने मृतक की हत्या की है। जब परमानंद (अ.सा.-2) ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो अपीलार्थी ने उत्तर दिया कि मृतक का उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध था। परमानंद (अ.सा.-2) ने गवाही दी कि इसके बाद वह महेश प्रधान (अ.सा.-5-ग्राम सरपंच) के पास गया, लेकिन वह रायपुर गए हुए थे। जब महेश प्रधान (अ.सा.-5) रायपुर से लौटे, तो उसने उन्हें अपीलार्थी द्वारा किए गए न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के बारे में बताया। प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार किया कि मृतक की मृत्यु के बाद पुलिस ने उसके भाई (परमानंद के भाई) को थाने बुलाया और उसे वहाँ हिरासत में रखा गया। उसने इस सुझाव से इनकार किया कि उसका भाई नंदकुमार भी संदिग्धों में से एक था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

11. रमेश प्रधान (अ.सा.-3) ने गवाही दी कि महेश प्रधान (अ.सा.-5) ने अपीलार्थी को बुलाया था। अपीलार्थी ने महेश प्रधान (अ.सा.-5) के समक्ष न्यायालय के बाहर यह स्वीकार किया कि उसने मृतक की हत्या की थी।

12. मुरली पटेल (अ.सा.-4) ने भी गवाही दी कि अपीलार्थी ने महेश प्रधान (अ.सा.-5) के सामने उनकी उपस्थिति में न्यायिकेत्तर संस्वीकृति की थी।

13. महेश प्रधान (अ.सा.-5) गाँव के सरपंच थे। उन्होंने बयान दिया कि जब वे रायपुर से लौटे, तो परमानंद (अ.सा.-2) ने उन्हें बताया कि अपीलार्थी ने उनके सामने यह संस्वीकृति किया था कि उसने मृतक की हत्या की है। इसके बाद, अगले दिन शाम को, उसने अपीलार्थी को बुलाया और उससे घटना के बारे में पूछा। अपीलार्थी रोने लगा और उसने मृतक की हत्या करने की बात संस्वीकृति कर ली। जब महेश प्रधान (अ.सा.-5) ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो अपीलार्थी ने बताया कि मृतक का उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंध था। इसके बाद अगले दिन, जब वह रमेश प्रधान (अ.सा.-3) और मुरली पटेल (अ.सा.-4) के साथ बैठा था, तो उसने अपीलार्थी से पूछा कि एक व्यक्ति द्वारा यह कैसे संभव है, तब अपीलार्थी ने उसे बताया कि मृतक की हत्या में लीलाधर ठाकुर (अभि.क्रं.-2) भी शामिल था। इसके बाद अपीलार्थी ने मृतक की हत्या करने की पूरी प्रक्रिया का विस्तृत विवरण दिया।

14. प्रतिपरीक्षण में महेश प्रधान (अ.सा.-5) ने स्वीकार किया कि मुरली पटेल (अ.सा.-4) ने उन्हें दिनांक 19(19.06.2008) को उनके सामने किए गए न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के बारे में बताया था। फिर दो-तीन दिन बाद वह रायपुर चला गया। उसने स्वीकार किया कि उस दौरान उसकी अपीलार्थी से कोई बातचीत नहीं हुई। वह 24-25 जून, 2008 को रायपुर से लौटा। यह सच है कि उक्त तिथि के बाद उसकी अपीलार्थी से बातचीत हुई थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि उसकी मुलाकात 24-25 जून, 2008 के बाद अपीलार्थी से हुई थी और उसके बाद अपीलार्थी ने उसके समक्ष कथित न्यायिकेत्तर संस्वीकृति दिया था। पहली बार अपीलार्थी ने केवल अपने बारे में ही संस्वीकृति की थी; तथापि, दूसरी बार अपीलार्थी ने दोषारोपक संस्वीकृति की और उसने लीलाधर ठाकुर (अभि.क्रं.-2) का नाम भी लिया। उपरोक्त गवाहों से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज उनके केसडायरी बयानों के आधार पर प्रतिपरीक्षण की गई। परमानंद (अ.सा.-2) का डायरी बयान प्रदर्श-डी/1 है। रमेश प्रधान (अ.सा.-3) का डायरी बयान प्रदर्श-डी/2 है और महेश प्रधान (अ.सा.-5) का डायरी बयान प्रदर्श-डी/3 है। अभिलेखों से पता चलता है कि उपरोक्त सभी बयान जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 20.06.2008 को दर्ज किए गए थे और इस संबंध में कोई विवाद नहीं है। इन सभी गवाहों के केसडायरी बयानों में अपीलार्थी द्वारा किए गए न्यायिकेत्तर संस्वीकृति का उल्लेख है और साथ ही इस तथ्य का भी उल्लेख है कि वे महेश प्रधान (अ.सा.-5) से मिले थे, जहां अपीलार्थी ने उनके समक्ष भी संस्वीकृति बयान दिया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त गवाहों के केसडायरी बयान अपीलार्थी की महेश प्रधान (अ.सा.-5) से मुलाकात के बाद दर्ज किए गए थे। इससे पता चलता है कि उपरोक्त गवाहों के केसडायरी बयान अपीलार्थी की महेश प्रधान (अ.सा.-5) से मुलाकात के बाद दर्ज किए गए थे। जब महेश प्रधान (अ.सा.-5) ने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया कि संस्वीकृति बयान 24-25 जून, 2008 के बाद उनके समक्ष दिया गया था, तो न्यायिकेत्तर संस्वीकृति बयान

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

से संबंधित बयान दिनांक 20.06.2008 को कैसे दर्ज किए गए? अभियोजन पक्ष ने उपरोक्त विसंगति का स्पष्टीकरण नहीं दिया है। सह-आरोपी लीलाधर ठाकुर (अभि.क्रं.-2) के लिए दोष सिद्ध करने वाले न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के साक्ष्य को विश्वसनीय नहीं माना गया और इस हद तक उपरोक्त गवाहों के साक्ष्य अस्वीकार्य पाए गए। इन विसंगतियों के कारण उनके साक्ष्य कमजोर हो जाते हैं। हमारा यह मत है कि उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में, माननीय सत्र न्यायाधीश ने इन गवाहों की गवाही पर भरोसा करके गलती की है, और केवल न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के आधार पर दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

15. उपरोक्त कारणों से अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दी दोषसिद्धि और दंडादेश अपास्त की जाती है। अपीलार्थी को उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। यह बताया गया है कि अपीलार्थी दिनांक 20.06.2008 से जेल में है। यदि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता न हो तो उसे तत्काल रिहा किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

सही/-
आर.एस. शर्मा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Uday Shankar Dewangan